

F.No.8. Jan.-20241/NRC/NCTE/2020/RTI/CIC/ 207316

दिनांक:- 13.01.2020

सेवा में,

मोहम्मद आरिफ,
निवास - शेखपुरा, रोड - बदायूँ
राज्य - उत्तर प्रदेश, पिनकोड - 243601.



विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में:-

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक F.No.8. Sep.-18639-18656/NRC/NCTE/2018/RTI/E-Office/197942-43
दिनांक 22.10.2018.

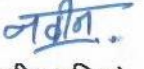
(2) CIC का पत्र क्रमांक CIC/NCTED/A/2018/151452 दिनांक 27.12.2019.

महोदय,

कृपया आप उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, आपके द्वारा चाही गयी जानकारी इस प्रकार है:-

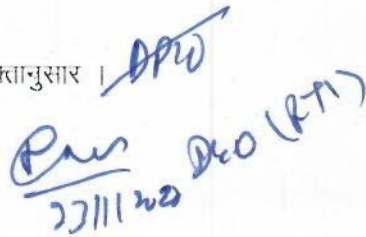
क्र० सं०	जानकारियाँ
बिन्दु क्र० - 1	भौतिक सत्यापन अधिकारियों के नाम:- 1. Shri Sahebrao Tryambakrao Bhukan, V.T. member 2. Smt. Shashi Prabha Negi, V.T. member
बिन्दु क्र० - 2	कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार B.Ed. course की भी जानकारी आपको दी जा चुकी है।
बिन्दु क्र० - 3	यह प्रशासनिक प्रक्रिया है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती है।
बिन्दु क्र० - 4	हाँ, कृपया आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय की वेबसाइट www.ncte.gov.in पर उपलब्ध NCTE Act, Norms & Standards, Regulations-2014 का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करें। (NCTE Regulations- 2014 की छायाप्रति संलग्न)

भवदीय,



(नवीन मलिक)
जनसूचना अधिकारी

संलग्न - उपरोक्तानुसार



5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

(क) संख्या

-उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक	-एक
-कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टोर कीपर	-एक
-कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट (कम्प्यूटर विज्ञान में बीसीए/बी.टेक)	-एक
-पुस्तकालयाध्यक्ष (बी.लिब के साथ)	-एक

(ख) योग्यताएं

जैसी कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की गई हों।

[टिप्पणी: किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल और शैक्षिक (अकादमिक), प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ को परस्पर बांटा जा सकता है। वहां एक प्रिंसिपल होगा और अन्यो को विभागाध्यक्ष कहा जा सकता है।]

5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन की प्रक्रिया, वेतन-मान, अधिवासिकों की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्ध निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6. सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ संयुक्त रूप से डी.एल.एड कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा:

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)
डी.एल.एड	1500 वर्ग मीटर	2500
डी.एल.एड और बी.एड + बी.ए/बी.एससी, बी.एड का शिक्षा	3000 वर्ग मीटर	3000
डी.ई.सी.एड और उसके साथ डी.एल.एड	2500 वर्ग मीटर	3000
डी.एल.एड और उसके साथ बी.एड और एम.एड	3500 वर्ग मीटर	3500
डी.एल.एड और डी.ई.सी और उसके साथ बी.एड और एम.एड	4000 वर्ग मीटर	4000

टिप्पणी: डी.एल.एड के एक यूनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ख) संस्था में निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं अवश्य होना चाहिए (प्रत्येक मद में पीडब्ल्यूडी के लिए गुंजाइश शामिल होनी चाहिए):

- प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा का एक कमरा।
- कुल 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो।
- पुस्तकालय एवं सह-संसाधन केन्द्र।
- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला (विज्ञान और गणित किटों, नक्शों, ग्लोब, रसायनों, विज्ञान किटों, आदि के साथ)।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला।
- कला और शिल्प संसाधन केन्द्र।
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्र।
- प्रिंसिपल का कार्यालय।
- स्टाफ के लिए कमरा।
- प्रशासनिक कार्यालय।
- स्टोर के कमरे (दो)।
- पुरुष और महिला विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग समान्य कक्ष।

18135

F.No.8. April-18063/NRC/NCTE/2018/RTI/1937/7

दिनांक:- 15.05.2018

सेवा में,

16 MAY 2018

मोहम्मद आरिफ,
निवास- शेखुपुर, रोड- बदायूँ
राज्य- उत्तर प्रदेश

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में:-
महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 15.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में दिनांक 12.04.2018 को प्राप्त हुआ।

क्र० सं०	जानकारी
बिन्दु-1	भाग- 1, अभी मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, प्रक्रिया में है। भाग- 2, मान्यता मिलने या निरस्त होने पर जानकारी दी जायेगी।
बिन्दु-2	कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार B.Ed. पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है।
बिन्दु-3	आवेदन प्रक्रिया में है, मान्यता मिलने या निरस्त होने पर जानकारी दी जायेगी।
बिन्दु-4	हाँ, कृपया आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय की वेबसाइट www.nrcncte.org पर उपलब्ध Norms & Standards, Regulations-2014 का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करें।

यदि आप उपरोक्त जानकारी/निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप अपील अधिकारी (क्षेत्रीय निदेशक) को पत्र प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(राजेश बोरकर)
जनसूचना अधिकारी

Northern Regional Committee
National Council For Teacher Education
G- 7, Sector- 10, Dwarka, New Delhi- 110075

F.No.8. May-18188/NRC/NCTE/2018/RTI/Appeal 1194348

दिनांक:- 12.06.2018

सेवा में,

मोहम्मद आरिफ,
निवास- शेखूपुर, रोड- बदायूँ
राज्य- उत्तर प्रदेश।

19 JUN 2018

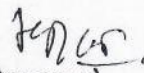
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में -

महोदय,

कृपया आप अपने अपील पत्र दिनांक 27.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में दिनांक 15.05.2018 को प्राप्त हुआ।

आप अपने पूर्व पत्र दिनांक 15.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में दिनांक 12.04.2018 को प्राप्त हुआ था। पत्र में मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक F.No.April-18135/NRC/NCTE/2018/RTI/193717 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आपको पुनः इस पत्र की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है, जिनका अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करें।

भवदीय,


(सतीश गुप्ता)
अपील अधिकारी एवं
क्षेत्रीय निर्देशक (I/C)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

etc

F.No.8. May-18375/NRC/NCTE/2018/RTI/Appeal /195347

दिनांक:- 05.07.2018

सेवा में,

06 JUL 2018

मोहम्मद आरिफ,
निवास- शेखूपुर, रोड- बदायूँ
राज्य- उत्तर प्रदेश।

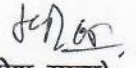
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में -

महोदय,

कृपया आप अपने अपील पत्र दिनांक 04.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त हुआ।

आप अपने पूर्व पत्र दिनांक 15.03.2018 का भी सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में दिनांक 12.04.2018 को प्राप्त हुआ। पत्र में मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक F.No.April-18135/NRC/NCTE/2018/RTI/193717 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जो उचित है। आपको पुनः इस पत्र की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है, जिसका अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करें।

भवदीय,


(सतीश गुप्ता)
अपील अधिकारी एवं
क्षेत्रीय निर्देशक (I/C)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

F.No.8. Sep.-18571/NRC/NCTE/2018/RTI/ 197172

दिनांक:- 20.09.2018

सेवा में,

20 SEP 2018

मोहम्मद आरिफ,
निवास- शेखूपुर, रोड- बदायूँ
राज्य- उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में:-

सन्दर्भ:- (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक F.No.8. April- 18135/NRC/NCTE/2018/RTI/193717 दिनांक 16.05.2018.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक F.No.8. May-18188/NRC/NCTE/2018/RTI/Appeal/194348 दिनांक 13.06.2018.

महोदय,

कृपया आप अपने इस कार्यालय का पत्र क्रमांक F.No.8. April-18135/NRC/NCTE/2018/RTI/ 193717 दिनांक 16.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संस्था का प्रकरण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति की 288 वीं बैठक में निर्णय के लिए रखा गया। बैठक में निर्णय के अन्तर्गत जो पत्र जारी किया, उसका अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करें। (छायाप्रति संलग्न)

यह जानकारी बिन्दु क्रमांक 1 व 3 के संबन्ध में दी जा रही है। बिन्दु क्रमांक 2 व 3 की जानकारी आपको पत्र दिनांक 16.05.2018 के द्वारा जा चुकी है।

भवदीय,

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजेश बोरकर)
जनसूचना अधिकारी

nc

F.No.8. Sep.-18639- 18656/NRC/NCTE/2018/RTI/E- office

197942-43

दिनांक:- 16.10.2018

सेवा में,

मोहम्मद आरिफ,
निवास - शेखुपुर, रोड- बदायूँ
राज्य - उत्तर प्रदेश

22 OCT 2018

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में:-

सन्दर्भ:- (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक F.No.8. April- 18135/NRC/NCTE/2018/RTI/193717 दिनांक 16.05.2018.

(2) मुख्य कार्यालय का पत्र क्रमांक No.F.011/1130/2018/RTI Section- HQ/70188 दिनांक 13.09.2018.

महोदय,

कृपया प्रार्थी अपने आर0टी0आई0 पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में E-office के माध्यम से दिनांक 17.09.2018 को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा चाही गयी जानकारी इस प्रकार है:-

क्र० सं०	जानकारियाँ
बिन्दु क्र० - 1 व 4	मान्यता पत्र संलग्न है। भौतिक सत्यापन अधिकारियों के नाम:- 1. Shri Sahebrao Tryambakrao Bhukan, V.T. member 2. Smt. Shashi Prabha Negi, V.T. member
बिन्दु क्र० - 2	इस बिन्दु की जानकारी आपको दी जा चुकी है।
बिन्दु क्र० - 3	यह प्रशासनिक प्रक्रिया है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी/निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप अपील अधिकारी (क्षेत्रीय निदेशक) को पत्र प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(राजेश बोरकर)
जनसूचना अधिकारी

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :-

श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी,
जनसूचना अधिकारी,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
विंग - II, हंस भवन - 1,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002.

जनसूचना अधिकारी

e-Office send

O/c



O.I.G.S
Speed Post / Registered Post / Courier



(20)



If undelivered, please return to :
Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarka,
New Delhi-110075
Ph.: 011-20892151, 011-20892152
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

02.1.21
Dr. Jyoti K. Sharma